न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019 / 00217 (78 / 2019) **दायरा दिनांक : 03.06.2019**

उनवान

आनन्दीलाल आत्मज गणेशराम, जाति बैरवा, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल हाल निवासी सुन्दर नगर, आवली वार्ड नं. 4, इंजीनियरिंग कालेज के पास, कोटा (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. साबूलाल आत्मज श्री गंगा बिशन मीना, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. जिला कलेक्टर, बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.04.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 104 / 2018 निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 15.02.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि वादी को दिनांक 21.06.1989 के साबिक खसरा नं. 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 352 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा आराजी ग्राम तिसाया, तहसील मांगरोल में नियमन हुई थी, जिसके हाल खसरा नं. 737 रकबा 1.54 हेक्टर, खसरा नं. 915 रकबा 0.94 हेक्टर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। इसी प्रकार ग्राम तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान की आराजी साबिक खसरा नं. 484 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 485 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 486 रकबा 4 बीघा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

के हाल खसरा नं. 916 रकबा 0.90 हेक्टर, खसरा नं. 915 रकबा 0.94 हेक्टर आराजी आवंटन हुई, आवंटनशुदा आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी को साबिक खसरा नम्बर अनुसार ही दखल दिया गया था एवं वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 15.02.2019 से वाद वादी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि तथा पत्रावली के सर्वथा विपरीत है तथा निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुराने खसरा नं. 487 की रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि के नये खसरा नं. 915 बनाया जाना मानने में भारी त्रुटि की है जबकि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रेस्पोडेंट नं. 2, 3 को सूचित किये तथा बिना एक तरफा किये तथा बिना जवाब के वाद डिक्री करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचित नहीं किया गया तथा अपीलांट ने वकील नियुक्त नहीं किया इस पर भी पत्रावली में रेस्पोडेंट द्वारा वकालतनामा पेश करा कर उसी दिन जवाब बन्द कराकर तथा दूसरी पेशी पर बिना जिरह के वाद डिक्री कर दिया, जबकि अपीलांट ने श्याम पारेथा को वकील नियुक्त नहीं किया तथा कभी मिला भी नहीं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 15.02.2019 निरस्त फरमायी जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.05.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि खसरा नं. 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 352 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा आराजी गैर खातेदारी की है जो साबू को नियमन हुई। खसरा नं. 737 की रकबा 1.54 हेक्टर व खसरा नं. 915 रकबा 0.94 हेक्टर गैर खातेदारी भूमि है। सैटलमेंट ने खसरा नं. 487 व 355 की आराजी को खसरा नं. 915 में दर्ज कर 0.94 हेक्टर रकबा आनन्दी लाल के नाम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.08.2018 को दावा दर्ज किया। अधीनस्थ न्यायालय की आर्डर शीट दिनांक 18.02.2019 में अंकित किया कि पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। जवाब नहीं देना चाहते। अतः प्रतिवादी का जवाब बन्द कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य सबूत वादी दिनांक 11.02.2019 को पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय ने आनन्दी लाल के खसरा नं. 915 से आराजी कम कर साबू के खाते दर्ज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें साक्ष्य, जवाब पेश करने का अवसर नहीं दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकरं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि दोनों पक्षों को 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी आवंटित हुई थी। दोनों के आवंटन का खसरा नम्बर एक ही बना दिया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब नहीं दिया। अपीलांट ने बाद में अपील कर दी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखी जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि वादी को दिनांक 21.06.1989 के साबिक खसरा नं. 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 352 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 3 बीघा आराजी ग्राम तिसाया, तहसील मांगरोल में नियमन हुई थी जिसके खसरा नं. 737 रकबा 1.54 हेक्टर खसरा नं. 915 रकबा 0.94 हेक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए है। इसी प्रकार प्रतिवादी को ग्राम तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां की आराजी साबिक खसरा नं. 484 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 485 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 486 रकबा 4 बीघा के हाल

(दीप्ति रामचेन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

खसरा नं. 916 रकबा 0.90 हेक्टर, खसरा नं. 915 रकबा 0.94 हेक्टर आराजी आवंटन हुई, आवंटन शुदा आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी को साबिक खसरा नं. अनुसार की दखल दिया गया था, एवं वादी एवं प्रतिवादी द्वारा दखल प्राप्त कर लिया था। लेकिन दौराने सेटलमेंट खसरा मिलान एवं रकबे व खसरा नम्बरान के पृथक पृथक दर्ज न कर वादी के नाम आवंटन/नियमन आराजी साबिक खसरा नं. 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 352 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल 3 बीघा में से खसरा नं. 487 को खसरा नं. 486 के साथ मिन खसरा नं. हाल खसरा नम्बर 915 दर्ज कर दिया एवं वादी के नाम नियमन आराजी खसरा नं. 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व हाल खसरा नं. 915 रकबा 0.94 हेक्टर आराजी पर प्रतिवादी कम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर विधिक भूल की है। उक्त खसरा नं. में वादी के नाम भी खसरा नं. 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी नियमन थी। वादी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हाल खसरा नं. 915 रकबा 0.94 हैक्टर में से 1 बीघा 10 बिस्वा पर खातेदार घोषित होने का कानूनी अधिकार है। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 दखल अनुसार ही काबिज काश्त है। अतः वादी साबिक खसरा नं. 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के हाल खसरा नं. 915 रकबा 0.94 हेक्टर में से 0.24 हैक्टर पर खातेदार/गैरखातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी के नाम दर्ज गैर खातेदार आराजी हाल खसरा नं. 916 रकबा 0.90 हैक्टर सम्पूर्ण पर व शेष खसरा नं. 915 रकबा 0.94 हेक्टर खातेदार/गैरखातेदार घोषित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2019 से वाद वादी स्वीकार कर ग्राम तिसाया की आराजी खसरा नं. 915 रकबा 0.24 हेक्टर जो प्रतिवादी कम 1 के गैरखातेदारी में दर्ज है को खारिज कर उक्त आराजी खसरा नं. 915 रकबा 0.24 हेक्टर जो वादी को आवंटित हुई थी, को वादी साबूलाल पुत्र गंगाबिशन जाति मीणा के गैर खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिया गया एवं खसरा नं. 915 रकबा 0.94 हैक्टर में से शेष रकबा 0.70 हेक्टर प्रतिवादी कम 1 के नाम गैरखातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2019 से अप्रसन्न होकर प्रतिवादी कम 1 अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अपीलांट को सूचित नहीं किया गया तथा अपीलांट ने वकील नियुक्त नहीं किया। पत्रावली में रेस्पोडेंट द्वारा वकालतनामा पेश कराकर उसी दिन जवाब बन्द कराकर तथा दूसरी पेशी पर बिना जिरह के हमारे खिलाफ एकतरफा कार्यवाही किये बिना वाद डिक्री कर दिया,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

जबकि अपीलांट ने श्याम पारेता को वकील नियुक्त नहीं किया तथा कभी मिला भी नहीं। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जाये।

अपीलांट द्वारा अपील में अंकित उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी अपीलांट के सम्मन नोटिस सलंग्न नहीं है। सम्मन नोटिस के अभाव में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि सम्मन की तामील का अभाव रहा है, जिससे अपीलांट के इस कथन की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है कि अपीलांट को सूचित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.02.2019, 11.02.2019 एवं 15.02.2019 के अनुसार प्रतिवादी अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पत्रावली सीधे ही वास्ते बहस दिनांक 15.02.2019 को नियत की गई। दिनांक 15.02.2019 को प्रतिवादी अपीलांट की उपस्थिति/अनुपस्थिति के कम में कोई कथन अंकित किये बिना सीधे बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनते हुए वादी का वाद स्वीकार कर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो सी.पी.सी. में वाद के निस्तारण हेतु बतायी गई विधिक प्रकिया की पालना के अभाव में खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 15.02.2019 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत तनकीवार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.05.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/04/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा